

प्रेषक,

मनीषा पंवार  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,  
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अंगुभाग-1 (बेसिक)

देहरादून: दिनांक: 11 मई, 2011

विषय:- कमजोर वर्ग को परिभाषित करने विषयक अधिसूचना दिनांक 08.04.2011 में संशोधन किये जाने विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि अधिसूचना संख्या-1333/XXIV(1)/2010-45/2008T.C.I, दिनांक 08.04.2011 द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2 के खण्ड (ड) द्वारा ऐसे अभिभावकों/ माता-पिता जिनकी वार्षिक आय ₹0 55000/- या उससे कम है, के बच्चों को कमजोर वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2 इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 08.04.2011 में परिभाषित कमजोर वर्ग के अतिरिक्त ग्राम्य विकास विभाग द्वारा निर्गत बी0पी0एल0 कार्डधारक अभिभावक/माता-पिता के बच्चों को भी कमजोर वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है।

कृपया तदनुसार अवगत होते हुए आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)  
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
2. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद्, देहरादून।
3. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल/कुमाँऊ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड। (हरा निदेशक)
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)  
अनुसचिव।